न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2022 (रा.अ.) (GCMS 2022/46)	21.03.2022	23.08.2023

अनवान

श्रीमती चुन्नीबाई बेवा नारू बलाई (सालवी) आयु 70 वर्ष निवासी आछोड़ा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थीया

बनाम

1 रतनलाल पिता नारू बलाई (सालवी) आयु वयस्क वर्ष निवासी आछोड़ा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2 नाराणी पुत्री नारू बलाई (सालवी) आयु वयस्क वर्ष निवासी आछोड़ा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3 रतनी पुत्री नारू बलाई (सालवी) आयु वयस्क वर्ष निवासी आछोड़ा तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4 श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब बस्सी तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–	भैरूलाल गुर्जर	अपीलार्थी
	गोपालसिंह राठौड	प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रत्यर्थी संख्या 4

अपील रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 216 तारीख फैसल दिनांक 30.10.2001 ग्राम आछोडा पटवार हल्का सेमलपुरा प्रशासन गांव के संग अभियान तहसीलदार चित्तौड़गढ़ वर्तमान तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। नारू पिता जयराम बलाई (सालवी) की विरासत का नामान्तरकरण पटवार हल्का सेमलपुरा द्वारा सजरा जो बनाया वह गलत बनाया सजरे में नाथी नाम की बेवा का अंकन किया गया जब कि नाथी नाम की कोई बेवा नहीं है। नाथी की जगह अपीलान्ट चुन्नीबाई का नाम दर्ज होना चाहिये था। जो नहीं कर गलत नाम नाथी का दर्ज कर दिया है। उसे हटाया जाकर अपीलान्ट नाथी के बजाय चुन्नीबाई का नाम दर्ज किया जाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायोचित है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवारी हल्का सेमलपुरा ने अपीलांट का एक इन्तकाल नंबर 272 फैसल दिनांक 20.12.2004 निर्णित कर रखा है उसमें अपीलांट चुन्नी का सही नाम अंकित कर रखा है जबकि इस इन्तकाल में गलत अंकन कर दिया है। जिससे इस आधार चुन्नी बाई बेवा नारू अंकित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी प्रारम्भ से ही स्व. नारू की बेवा है। उसके नाम की आईडी प्रुफ के आधार कार्ड सभी राशन कार्ड दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चुन्नीबाई बेवा नारू बलाई मानकर दर्ज कर रखा है। इसलिए बनावटी तौर पर ही नाथी नाम अंकित कर अपीलांट का हक समाप्त कर दिया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी प्रारम्भ से ही स्व. नारू की बेवा रही है विरासती इंतकाल से प्राप्त सम्पति का विनिमय अन्तरण अथवा बैंक ऋण सुविधाये भी अपीलांट को इस गलत नामकरण से प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए नाम परिशुद्धि तक विरासती नामान्तरकरण निरस्ती योग्य है। वैधानिक दृष्टि से भी इन्तकाल संख्या 216 त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय रहता है, क्योंकि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को शासकीय को आदेशों की रोशनी में 45 दिनों के फैसल करने का क्षेत्राधिकार नहीं होकर ग्राम पंचायत सेमलपुरा को प्राप्त था, मगर एक दिन में नामान्तरकरण भरवा कर तस्दीक कर देने में अवैधिन्नता की है। नारू की अपीलांट वैध्य वारीस होकर बेवा है। नाथी नाम की कोई बेवा वारीस नहीं है। फिर भी इस प्रकार का निर्णय करने में भारी भुल की है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 नामान्तरकरण सजरे के नाम अंकित होने से व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाये गये है। मयाद बाबत् आवेदन मय शपथ–पत्र अलग से पेश है। अन्य आपत्तिया वक्त बहस अर्ज की जायेगी। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर भूमि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 216 फैसल दिनांक 30.10.2001 ग्राम आछोड़ा पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ वर्तमान तहसील बस्सी निरस्त फरमा नाथी की जगह नारू की बेवा चुन्नीबाई का नाम दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे व रेकार्ड में भी अमलदरामद कराया जाने का आदेश बस्सी तहसीलदार को प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 13.04.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 से लगायत 3 तक की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं इकबालिया जवाब मय अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रत्यर्थी संख्या 4 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर। अधीनस्थ तहसीलदार बस्सी से मूल अभिलेख नामान्तरकरण पत्रावली तलब की गई जो कि तहसीलदार बस्सी के पत्रांक/भू0अ0/2023/1106 दिनांक 27.07.2023 से मूल नामान्तरकरण पंजिका नामान्तरकरण संख्या 196 से 239 तक की प्रेषित की गई जो कि दीगर प्रकरण संख्या 006/2022(रा.अ.) अनवानी श्रीमती चुन्नीबाई बनाम रतनलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के साथ हम किता होकर इस पत्रावली में भी रिकार्ड पर है।

दिनांक 02.08.2023 को उभयपक्षकारान हाजिर आये एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर उभयपक्षक अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम उभयपक्ष को मियाद प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना पत्र बहस में मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं उक्त इन्तकाल पारित होने की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, क्योंकि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवार हल्का सेमलपुरा ने मुझे कोई सुचना नहीं दी। उक्त इन्तकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2022 को पटवार हल्का सेमलपुरा के पटवारी द्वारा अपीलार्थीया खेत पर जींस गिरदावरी करने के लिए मौके पर आये और अपीलार्थीया रेकार्ड की जानकारी दी उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम चुन्नी के बजाय नाथ दर्ज कर रखा है। इन्तकाल की नकले दिनांक 20.02.2022 को होना अवगत कराया एवं तत्पश्चात् बिना किसी देरी के जानकारी के अन्दर अवधि अपील पेश की गई। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को नामान्तरकरण निर्णय दिनांक की जानकारी पूर्व से ही थी तथा अपील 20 वर्षों की देरी से पेश की गई जिसके संबंध में कोई युक्ति–युक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण से अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 में मियाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने की ईल्ल्जा की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट अनपढ होकर महिला है नारायण की वैद्य वारिस है एवं मामला बडी जायदाद का है जिससे मयाद बाबत् नरमी का रूख अपनाया जाकर अपील मयाद में शुमार फरमाई जावें। इसी आशय का अपीलांट द्वारा सच्चा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः मियाद प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिजर्व करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मूल अपील मेमों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। नारू पिता जयराम बलाई (सालवी) की विरासत का नामान्तरकरण पटवार हल्का सेमलपुरा द्वारा सजरा जो बनाया वह गलत बनाया सजरे में नाथी नाम की बेवा का अंकन किया गया जब कि नाथी नाम की कोई बेवा नहीं है। नाथी की जगह अपीलान्ट चुन्नीबाई का नाम दर्ज होना चाहिये था। जो नहीं कर गलत नाम नाथी का दर्ज कर दिया है। उसे हटाया जाकर अपीलान्ट नाथी के बजाय चुन्नीबाई का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने जबाव अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया एवं अपील अपीलार्थीया स्वीकार किये जाने की ईल्तजा के साथ अपनी बहस समाप्त की। इस पर राजकीय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता ने अपनी तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मूल अभिलेख नामान्तरकरण पंजिका का अवलोकन कराया एवं अपनी बहस पत्रावली में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों की जांच की जाकर विधि अनुसार मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों के नाम पर नामान्तरकरण दायर कर निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज योग्य है, इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया तहसीलदार चित्तौड़गढ़ व पटवारी हल्का सेमलपुरा ने अपीलांट का एक इन्तकाल नंबर 272 फैसल दिनांक 20.12.2004 निर्णित कर रखा है उसमें अपीलांट चुन्नी का सही नाम अंकित कर रखा है जबकि इस इन्तकाल में गलत अंकन कर दिया है। जिससे इस आधार चुन्नी बाई बेवा नारू अंकित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी प्रारम्भ से ही स्व. नारू की बेवा है। उसके नाम की आईडी प्रुफ के आधार कार्ड सभी राशन कार्ड दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चुन्नीबाई बेवा नारू बलाई मानकर दर्ज कर रखा है। इसलिए बनावटी तौर पर ही नाथी नाम अंकित कर अपीलांट का हक समाप्त कर दिया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी प्रारम्भ से ही स्व. नारू की बेवा रही है विरासती इंतकाल से प्राप्त सम्पति का विनिमय अन्तरण अथवा बैंक ऋण सुविधाये भी अपीलांट को इस गलत नामकरण से प्राप्त नहीं कर सकती है। इसलिए नाम परिशुद्धि तक विरासती नामान्तरकरण निरस्ती योग्य है। वैधानिक दृष्टि से भी इन्तकाल संख्या 216 त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय रहता है, क्योंकि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को शासकीय को आदेशों की रोशनी में 45 दिनों के फैसल करने का क्षेत्राधिकार नहीं होकर ग्राम पंचायत सेमलपुरा को प्राप्त था, मगर एक दिन में नामान्तरकरण भरवा कर तस्दीक कर देने में अवैधानिकता की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर भूमि तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का निर्णय नामान्तरकरण संख्या 216 फैसल दिनांक 30.10.2001 ग्राम आछोड़ा पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ वर्तमान तहसील बस्सी निरस्त फरमा नाथी की जगह नारू की बेवा चुन्नीबाई का नाम दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे व रेकार्ड में भी अमलदरामद कराया जाने का आदेश बस्सी तहसीलदार को प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 216 मौजा आछोडा पटवार हल्का सेमलपुरा निर्णय दिनांक 30.10.2001 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?**’’

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है–

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, हमने मूल नामान्तरकरण पंजिका का अवलोकन किया। हस्तगत नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में दिनांक 30.10.2001 को नामान्तरकरण संख्या 216 दायर किया गया है। जिस पर भूअनि द्वारा **मजमें आम** में दिनांक 30.10.2001 को जांच की गई। इसके पश्चात् दिनांक 30.10.2001 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण से मृतक खातेदार नारू पिता जयराम के फौत हो जाने से मृतक खातेदार की जॉच किये जाने के पश्चात् मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जा कर निर्णित किया जाना हाजिर होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का होकर उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय महत्वपूर्ण है एवं खातेदार के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, इसके साथ ही अपीलांट द्वारा प्रत्यर्थीगण के विधिक वारिसान होने के संबंध में किसी भी प्रकार से उज्र–एतराज नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 30.10.2001 का निर्णित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 216

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 30.10.2001 के निर्णय में किसी भी प्रकार से काई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थीया इस संबंध में सक्षम न्यायालय अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाये जाने हेतु स्वतंत्र है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2022 को जानकारी अवगत कराया है, जबकि नामान्तरकरण दिनांक 30.10.2001 को निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा लगभग 20 वर्षो की दीर्घ कालीन अवधि के विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई पुख्ता आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है केवल मात्र शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में दिनांक 20.02.2022 को प्राप्त होने का कथन किया गया है जो कि संदेह की स्थिति को उत्पन्न करता है ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे है, इसके साथ ही उपरांकित विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी बलहीन पाई गई है जिससे भी मियाद प्रार्थना–पत्र में केवल मात्र शपथ–पत्र के आधार अपील प्रस्तुती में हुये लगभग 20 वर्षो के विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 007/2022 (रा.अ.) अनवानी श्रीमती चुन्नीबाई बनाम रतनलाल वगैराह अपील अन्तर्गत्त धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् मौजा आछौडा पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ हाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 30.10.2001 को निरस्त कराये जाने हेतु अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण(दोनों) पर सारहीन होने से खारीज की जाती एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा आछौडा पटवार हल्का सेमलपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ हाल तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गड़ के नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 30.10.2001 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बस्सी को सूचनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.08.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official